



THE MADHYA PRADESH STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (M.P. GOVT. UNDERTAKING)

HEAD OFFICE : "PANCHANAN" 3rd FLOOR, MALAVIYA NAGAR, BHOPAL- 462003
Phone (0755) - 2551652, 2551756, 2551807 Fax: 0755-2557305 E-Mail : mpagrohbpl@gmail.com
Website : www.mpstateagro.org (CIN NO. U01119MP1969SGC001055)

मुख्या / विपणन / T.D. IMP - 10 (P-II) / 2023-24 / 3927

दिनांक : 05.03.2024

प्रति,

क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),
जिला प्रबंधक (समस्त),

विषय : ट्रैक्टर एवं पावर चलित कृषि यंत्रों की दरों का प्रसारण।

संदर्भ : मुख्यालय परिपत्र क्र० मुख्या / विपणन / T.D. IMP - 10 (P-II) / 2023-24 / 3668 दि. : 14.02.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत पूर्व में संदर्भित पत्र के माध्यम से ट्रैक्टर एवं पावर चलित कृषि यंत्रों हेतु प्रसारित दरों को निरस्त करते हुए वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित निर्माता कम्पनी द्वारा निगम के साथ अनुबंध निष्पादित करते हुए अपनी दरें प्रस्तुत की गयी हैं, जो पत्र के साथ संलग्न है :-

01	मेसर्स m.i.t.r.a एग्रो इक्युपमेंट प्रायवेट लिमिटेड, डी-43, एम.आई.डी.सी. अंबाड, नासिक-422010 E-mail : info@mitraweb.in	निर्माता द्वारा सीधे प्रदाय।
नोट : कम्पनी द्वारा सभी यंत्रों पर एक वर्ष की वारण्टी प्रदान की जावेगी।		

उक्त के अलावा अन्य निर्माता कम्पनियों से अनुबंध निष्पादित होने पर तदनुसार सूचित किया जावेगा।

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की कय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी), अन्य व्यय, परिवहन/निरीक्षण शुल्क सहित एफ.ओ.आर. डेस्टिनेशन पर पहुंचाकर हैं। उपरोक्त सभी यंत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी में पंजीकृत तथा टेस्टेड हैं। यदि समय-समय पर प्रदाय कम्पनी द्वारा कृषि अभियांत्रिकी विभाग में दरों अथवा ट्रैक्टर के मॉडलों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो निर्माता कम्पनी द्वारा उसकी सूचना से आवश्यक रूप से एम.पी.एग्रो मुख्यालय को अवगत कराया जावेगा। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।
- दरों का निर्धारण** : निगम द्वारा दरों का निर्धारण नहीं किया गया है, अपितु निर्माता द्वारा प्रस्तुत दरों को ही निगम द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। निर्माता जो निगम के माध्यम से अपने यंत्रों को उपभोक्ताओं को विक्रय करना चाहते हैं, उनसे निर्धारित शर्तों पर अनुबंध निष्पादित किया गया है।
- शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी। एम.पी.एग्रो की जवाबदेही मात्र उन्हीं प्रकरणों में रहेगी जिसमें सामग्री एम.पी.एग्रो के माध्यम से कृषक को प्रदायगी की जावेगी एवं कृषक अंश राशि एम.पी.एग्रो के खाते में प्राप्त होगी। यदि कृषक द्वारा सीधे कम्पनी से सामग्री कय की जाती है एवं कृषक अंश राशि सीधे कम्पनी के खाते में भुगतान की जाती है तो एम.पी.एग्रो की कोई जवाबदेही नहीं होगी।
- आदेश की प्रक्रिया** : उद्यानिकी विभाग/कृषि विभाग/अन्य विभाग से प्राप्त मांग एवं मांग में अनुशंसित प्रदायक/निर्माता कम्पनी तथा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए निगम के जिला प्रबंधक संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक को आदेश हेतु मांग अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा। यदि विभाग द्वारा सीधे मुख्यालय को मांग प्रेषित की जाती है तो प्रदाय आदेश मुख्यालय द्वारा जारी किये जावेंगे।



13.34

- (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्त, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
- (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
- (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
5. **सामग्री की प्रदायगी** – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
- (1) प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। प्रदायक द्वारा उचित कारण दिये जाने पर यह समय-सीमा बढ़ाई भी जा सकती है।
- (2) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का पोस्ट डिलेवरी इंस्पेक्शन निगम द्वारा अनुमोदित थर्डपार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी से काराया जाना अनिवार्य है। तदोपरांत निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी किये जावेंगे।
- (3) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में मय पावती, संतुष्टि एवं थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, जियोटेगिंग फोटोग्राफ भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किये जावेंगे।
- (4) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

6. **समय सीमा में सामग्री प्रदाय न करने पर शास्ति (पेनाल्टी)** – प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी :-

क्र.	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	0.25% प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	0.50% प्रति सप्ताह
3	पांचवे से छठवे सप्ताह तक	0.75% प्रति सप्ताह
4	सातवे से आठवे सप्ताह तक	1.00 % प्रति सप्ताह
5	नवें से दसवें सप्ताह तक	1.25 % प्रति सप्ताह अथवा प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त किया जा सकता है।
6	ग्यारवें से बारहवें सप्ताह तक	1.50 % प्रति सप्ताह अथवा प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त किया जा सकता है।
7	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए। 21% शास्ति (पेनाल्टी) जो की प्रदायक की धरोहर राशि अथवा निगम के अन्य जिलों से किये जाने वाले भुगतान की राशि से वसूली की जावेगी।

7. **सामग्री की गुणवत्ता** – एम.पी.एग्रो के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निर्माता द्वारा प्रस्तुत स्पेसिफिकेशन एवं दर सूची अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो अनुबंध में उल्लेखित शर्तों अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सूचना मुख्यालय को जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा दी जावेगी।



11.3.24

8. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, जियोटेगिंग फोटोग्राफ आदि के साथ निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक/मुख्यालय द्वारा किया जावेगा।
9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. **सामग्री की वारण्टी** : प्रदायक द्वारा सभी यंत्रों पर वारण्टी समयाविध में रिपेयर मेन्टेनेंस का कार्य निम्नानुसार किया जावेगा। रिपेयर मेन्टेनेंस का कार्य कम्पनी द्वारा शिकायत प्राप्त होने की दिनांक से 25 दिवस के अन्दर किया जावेगा :-
 (अ) मेसर्स m.i.t.r.a एग्रो इक्युपमेंट प्रायवेट लिमिटेड, नासिक द्वारा प्रदाय दिनांक से 1 वर्ष के अंतर्गत निशुल्क सेवा प्रदान की जावेगी।
11. **दरों की वैधता** : उपरोक्त दरें अनुबंध अनुसार 31 दिसम्बर 2024 तक वैध हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार
(दरें एवं डीलर की सूची)


प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :-

3928
12-3-24

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/समस्त विभागाध्यक्ष म.प्र.शासन की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, अरेरा हिल्स, भोपाल।
7. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
8. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. कम्प्यूटर कक्ष, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
11. मेसर्स m.i.t.r.a एग्रो इक्युपमेंट प्रायवेट लिमिटेड, डी-43, एम.आई.डी.सी. अंबाड़, नासिक-422010
E-mail : info@mitraweb.in




11.3.24


प्रबंधक (विपणन)

Technical specification of MITRA

Sr. No	Type	Model	Specification		Test Report No. & Testing Institute	MP Directorate of Agricultural Engineering Registered
			Parts	Specification		
1	Tractor Mounted Sprayer	CROPMASTER Race 200 lit - PP45 20 feet SN	Tank Capacity	200 lit	Not Tested	NO
			No of Nozzle	12		
			Tractor HP	18 HP & above		
			Total Boom Length	20 ft		
			Pump Type	Piston Pump		
2	Tractor Mounted Sprayer	CROPMASTER Race 200 lit PP45 30 feet SN	Tank Capacity	200 lit	Not Tested	NO
			No of Nozzle	18		
			Tractor HP	20 HP & Above		
			Total Boom Length	30 ft		
			Pump Type	Piston Pump		
3	Tractor Mounted Sprayer	CROPMASTER 400 ltr 40 feet	Tank Capacity	400 lit	Tested Dr. PDKV-Akola PS-28/188	YES
			No of Nozzle	24		
			Tractor HP	35 HP & Above		
			Total Boom Length	40 ft		
			Pump Type	Diaphragm Pump		
4	Tractor Mounted Sprayer	CROPMASTER Boom 600 lit 40 feet	Tank Capacity	600 lit	Not Tested	NO
			No of Nozzle	24		
			Tractor HP	45 HP & Above		
			Total Boom Length	40 ft		
			Pump Type	Diaphragm Pump		
5	Tractor Mounted Sprayer	CROPMASTER Reel 400 ltr with 20 feet Boom Span	Tank Capacity	400 lit	Tested at CAET, Dr. BSKKV-Dapoli FMTIC/2022/216	YES
			No of Nozzle	12		
			Tractor HP	45-75 hp		
			Total Boom Length	20 ft		
			Hose Pipe	200m (650ft)		
6	Tractor Mounted Sprayer	CROPMASTER Reel 400 lit	Tank Capacity	400 lit	Tested at CAET, Dr. BSKKV-Dapoli FMTIC/2022/216	YES
			Handgun	1		
			Tractor HP	40 HP & Above		
			Hose Pipe	200m(650ft)		



M.I.T.R.A. Agro Equipments Pvt. Ltd.



7	Tractor Mounted Sprayer	Airotec Turbo 200 lit	Tank Capacity	200 lit	14/2023 CIAE- Bhopal 14/2023	YES
			No of Nozzle	10		
			Tractor HP	18-55 hp		
			Pump Type	Diaphragm		
8	Tractor Trailed Sprayer	Airotec Turbo 400 lit	Tank Capacity	400 lit	FMTIC/2021/204 CAET, Dr. BSKKV- Dapoli FMTIC/2021/204	YES
			No of Nozzle	12		
			Tractor HP	24-55 hp		
			Pump Type	Diaphragm		
9	Tractor Trailed Sprayer	Airotec Turbo compact 600 lit	Tank Capacity	600 lit	97/2022 CIAE- Bhopal 97/2022	YES
			No of Nozzle	12		
			Tractor HP	24-55 hp		
			Pump Type	Diaphragm		
10	Tractor Trailed Sprayer	Airotec 1000 lit	Tank Capacity	1000 lit	93/2018 CIAE- Bhopal 93/2018	YES
			No of Nozzle	12		
			Tractor HP	34 HP & Above		
			Pump Type	Diaphragm		



11.3.24



Authorized Signatory & seal of
Manufacturer



M.I.T.R.A. Agro Equipments Pvt. Ltd.

Regd. Office / Factory Add. : D-43, M.I.D.C., Ambad, Nashik - 422010 | CIN: U29253MH2012PTC330338
Email: info@mitraweb.in | Web: www.mitrasprayer.com | www.mitraweb.in

**Purchase/Selling Price of Tractor operated Sprayer machines through M.P. State Agro Industries Development Corporation Ltd
for the Year 2023-2024 and onwards.**

Name of Supplier :- M.I.T.R.A. Agro Equipments Pvt Ltd
Address :- D-43, MIDC, Ambad, Nashik, Maharashtra-422010
Contact Number :- Dipak Dahiphale (9527271338, 8956709310)
E Mail ID :- dlpakd@mitraweb.in
Brand :- M.I.T.R.A.

Sr. No.	Type of Implements	Model	Basic Price	GST 12%	Total Purchase Price to MP Agro (Incl. 12%GST)	MP Agro Margin 5%	GST@12% on MP Agro Margin	Selling Price (MP Agro to Customer)
1	Tractor Mounted Sprayer	Cropmaster 400	1,21,250.00	14,550.00	1,35,800.00	6,790.00	814.80	1,43,404.00
2	Tractor Mounted Sprayer	Cropmaster Reel 400	1,29,910.71	15,589.29	1,45,500.00	7,275.00	873	1,53,648.00
3	Tractor Trailed Sprayer	Airotec Turbo 400	3,35,884.35	40,306.12	3,76,190.48	18,809.52	2257.143	3,97,257.14
4	Tractor Trailed Sprayer	Airotec 1000	4,46,428.57	53,571.42	5,00,000	25,000	3000	5,28,000.00

*ALL THE IMPLIMENTS ARE TESTED & RESGISTERED FROM DIRECTOR OF AGRICULTURAL ENGINEERING, BHOPAL

एमपी एगो द्वारा दरों का अनुमोदन नहीं किया गया है
दरों निर्धारण द्वारा निर्धारित व विगम को परतुत दरों का
प्रमाण दिया गया है। हितग्राही को सलाह दी जाती है
कि वे सामग्री चयन के समय दरों पर भी विचार करें।



Authorized Signatory

M.I.T.R.A. Agro Equipments Pvt. Ltd.

Shot on OnePlus
Rtd. Office / Factory Add.: D-43, M.I.D.C., Ambad, Nashik - 422010 | CIN: U29253MH2012PTC330338
OPEB@mitraweb.in | Web: www.mitrasprayer.com | www.mitraweb.in